भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2569

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

खानों का मूल्यांकन

2569. श्रीमती डी. के. अरूणाः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

श्री इटेला राजेंदरः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न मापदंडों के आधार पर खानों का मूल्यांकन और निर्धारण करने और कोयला/लिग्नाइट उत्पादकों के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सर्वोत्तम अचारों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ खानों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कई मॉड्यूल के आधार पर किए जाने के लिए एक व्यापक नीति रूपरेखा तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला मंत्रालय ने 7 मार्च, 2019 को स्टार रेटिंग नीति जारी की है, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू किया गया था। इस नीति का उद्देश्य सुरक्षा, पर्यावरण मानकों, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, श्रमिक कल्याण, सर्वोत्तम खनन पद्धतियों को अपनाने, नवीनतम और सबसे सुरक्षित प्रौद्योगिकियों के उपयोग और आर्थिक निष्पादन से संबंधित नियमों और विनियमों के अनुपालन में उनके निष्पादन के आधार पर सभी प्रचालनरत कोयला और लिग्नाइट खानों का मूल्यांकन करना है।

विभिन्न मूल्यांकन मापदंडों को शामिल करने के लिए सात मॉड्यूल वाला एक वेब पोर्टल विकसित किया गया था। भाग लेने वाली खानों को खानों द्वारा स्व-मूल्यांकन के आधार पर नो स्टार से फाइव स्टार तक स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है और इसके बाद कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) द्वारा वैधीकरण किया जाता है। यह नीति पारदर्शी तरीके से सभी प्रचालनरत कोयला और लिग्नाइट खानों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है।

(ख) : वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कोयला खानों की स्टार रेटिंग पूरी कर ली गई है और स्टार रेटेड खानों को अवॉर्ड्स भी वितरित किए गए थे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित कोयला धारक राज्यों की सभी लिग्नाइट और कोयला खानें स्टार रेटिंग में भाग ले रही हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश की किसी लिग्नाइट अथवा कोयला खान ने अब तक भाग नहीं लिया है।

*****